आज दिनांक 28.02.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

25 किलोग्राम अवैध गोमांस, 04 अदद नाजायज चाकू, 01 अदद बोगदा के साथ 01 गौतस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री राजीव कुमार यादव के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला श्री अमित कुशवाहा के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनांक 28.02.2023 को समय करीब सुबह 10.00 बजे करनजोत स्थित एक मकान से 25 किलोग्राम अवैध गोमांस तथा घटनास्थल से 01 अभियुक्त नाम पता शफीक पुत्र मसान निवासी करनजोत थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को 04 अदद अवैध चाकू व 01 अदद बोगदा के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 43/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा बरामद अवैध चाकू व बोगदा के संबंध मे मु0अ0सं0 44 / 23 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष बेलहरकला उ0नि0 श्री अमित कुशवाहा, उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव, उ0नि0 श्री अवधेश कुमार सिंह, म0का0 शिल्पा तिवारी, का0 आलोक प्रजापति, का0 अमित कुमार, हे0का0 चा0 हरेन्द्र यादव।

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 05 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 05 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत है:- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता बुद्धिराम यादव पुत्र रामचेत निवासी बनपुरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ०नि० श्री रजनीश राय, हे०का० आदित्य यादव, का० अजीत गुप्ता । थाना मेहदावल पुलिस द्वारा ०२ नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता १- जनता उर्फ सतीश पुत्र मंगल निवासी भरौली २- भऊलाल पुत्र पारस निवासी ददरा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा. माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ०नि० श्री राजेश दूबे, उ०नि० श्री प्रमोद कुमार नायक।

थाना घनघटा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1- रामिकशोर पुत्र केदार निवासी गोपीपुर 2- रामचन्दर पुत्र रामिहत निवासी रीठा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा. माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल का विवरण — उ०नि० श्री अनुज यादव, उ०नि० श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, का० रंजन राजभर, का० पंकज कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1494 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल— पीआरवी 1494 को थाना बिखरा क्षेत्रांतर्गत नन्दौर से इवेन्ट संख्या 03789 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों 1- शमशेर पुत्र इकबाल 2- सैफ पुत्र करीमुल्लाह निवासी रसूलाबाद थाना बिखरा जनपद सन्तकबीरनगर के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 01 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बिखरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई। पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 असगर अली, आ0 प्रमोद कुमार राम, हो0चा0 महेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 28.02.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।